कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 409 /11–सी– लखनऊ, दिनांकः अगस्त 11 ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषयः– ओबरा एवं रेनूकूट वन प्रभाग की मे0 रिलायन्स जियों इन्फोकाम लि0 की ओ0एफ0सी0 केबिल वनभूमि में भूमिगत ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु समेकित प्रस्ताव के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–548/मिर्जापुर/33, दिनांक–04.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा ओबरा एवं रेनूकूट वन प्रभाग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्ड कापी में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैः–

- रेनूकूट वन प्रभाग (प्रस्ताव सं0 – FP/UP/others/24371/2017)

1– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि की कानूनी स्थिति आरक्षित अंकित की गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।

2– प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।

3– वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है जो स्वीकार्य नही है। अतः मूल प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑन लाईन अपलोड करे।

4– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु सम्बन्धित मार्ग को चिन्हित नही किया गया है।

5– हार्डकापी भाग–2 में हरियाली का घनत्व अंकित नही है।

6– आनलाईन भाग–2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

7– आनलाईन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।

8– हार्डकापी भाग–2 में जिले का वन क्षेत्रफल जिलें के भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

9– दोनों वन प्रभाग का ऑन लाईन प्रस्ताव अलग–अलग अपलोड किया गया है, जिसे आपस में समेकित कर प्रस्तुत किया जाना उचित नही है। अतः रेनूकूट वन प्रभाग का प्रस्ताव अलग प्रस्तुत कर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये संशोधित विषयसूची संलग्न करे।

10– दोनों वन प्रभागों का मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति सहित भाग–3 अंलग–अलग संलग्न करे।

- ओबरा वन प्रभागः– (प्रस्ताव सं0 – FP/UP/others/24318/2017)

1– याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व दिनांक अंकित नही है।

2– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट अंकित नही की गयी है।

3– प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।

4– वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है जो स्वीकार्य नही है। अतः मूल प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑन लाईन अपलोड करे।

5– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित व चिन्हित छायाप्रति संलग्न नही है।

6– आनलाईन भाग–2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

7– आनलाईन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।

8– दोनों वन प्रभाग का ऑन लाईन प्रस्ताव अलग–अलग अपलोड किया गया है, जिसे आपस में समेकित कर प्रस्तुत किया जाना उचित नही है। अतः ओबरा वन प्रभाग का प्रस्ताव अलग प्रस्तुत कर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये संशोधित विषयसूची संलग्न करे।

9– दोनों वन प्रभागों का मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति सहित भाग–3 अंलग–अलग संलग्न करे।

उपरोक्त दोनो वन प्रभागों में इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात, संशोधित प्रस्ताव अलग–अलग इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की दों मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 409 / 11–सी–, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा।
2. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 1269